अंग उपकरण अंग उपकरण श्रवण सहायता यंत्र आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

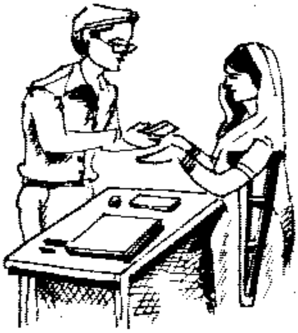

पात्रता की शर्तें

1. आयु सीमा अधिकतम 60 वर्ष
2. आय की सीमा रु० 300-00 प्रतिमाह से अधिक न हो।
3. कृत्रिम अंग खरीदने में स्वयं सक्षम न हो, ऐसे अक्षम व्यक्ति जो आंशिक बधिर, आंशिक दृष्टिहीन, या दोनों हाथ-पैर/एक हाथ एक पैर न हो।
4. उत्तर प्रदेश का निवासी हो, एक अंग के लिये अनुदान एक बार दिया जायेगा।
5. अनुदान की धनराशि अधिकतम रु० 1000-00 है।

3. विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति योजना

छात्रों को जीवीकापार्जन (शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु) विभाग द्वारा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है।

पात्रता की शर्तें

1. आयु 6 वर्ष से 40 वर्ष तक।
2. अभिभावक की आय रु० 2000-00 मासिक से अधिक न हो।
3. उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
4. विकलांग का प्रतिशत कम से कम 40 प्रतिशत होना आवश्यक है।

छात्रवृत्ति की धनराशि प्रतिमाह

1. कक्षा 1 से 5 तक	रु० 25-00	2. कक्षा 6 से 8 तक	रु० 40-00
3. कक्षा 9 से इण्टर तक	रु० 85-00	4. स्नातक हेतु	रु० 125-00
5. स्नातकोत्तर	रु० 170-00		

4. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा

पात्रता हेतु शर्तें

1. आयु बन्धन नहीं है।

2. विकलांगता का प्रकार— (क) दृष्टिहीन (ख) मूक/बधिर (ग) चलने-फिरने में असमर्थ (घ) मानसिक मन्द (ङ) मानसिक रोगी आदि।

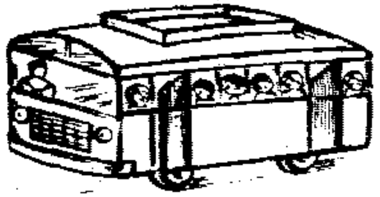

उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को यात्रा सुविधा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिये प्रमाण पत्र को यात्रा के समय दिखाने पर प्राप्त होगी। यात्री कर देय होगा केवल किराया निःशुल्क है।

5. विकलांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार

पात्रता की शर्तें

1. विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक
2. विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक
3. विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत तक होनी चाहिए।
4. उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
5. आय कर देने वाले पात्र नहीं होंगे।
6. विकलांग की शादी 15-7-97 के बाद हुई हो।

पुरस्कार राशि

विकलांग युवक से शादी करने पर रु० 11,000-00
विकलांग युवती से शादी करने पर रु० 14,000-00

6. दुकान निर्माण हेतु ऋण

विकलांग व्यक्तियों को पुर्नवास हेतु दुकान निर्माण में सहायता देना योजना का उद्देश्य है।